न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 119 सन 2019

अनवान :–

1. करणीसिह पुत्र देवीसिह जाति राजपूत साकिन चैनपुरा तहसील नोहर।

बनाम

1. देवीसिह पुत्र बनेसिह जाति राजपूत साकिन चैनपुरा तहसील नोहर।
2. भालसिह 3 भैरूसिह जाति राजपूत साकिन चैनपुरा तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 20.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चैनपुरा के खाता सख्या 60/58 के खसरा न0 184/1 की 0.506हैक खसरा न0 253/1 की 1.2860हैक खसरा न0 283/1 की 2.0180हैक खसरा न0 377/2 की 1.1800हैक कुल 4.9900हैक भूमि सयुक्त खाता में देवीसिह के नाम से 4.484हैक भूमि दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बन्नेसिह के नाम से दर्ज थी वादी के दादा बन्नेसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में वाद भूमि आई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिलस है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या

बिनाय दावा है। जमाबन्दी सलग्न वाद है।

Web Copy - Not Official

1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज ही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनाम पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि सेही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 60/58 के खसरा न0 184/1 की 0.506हैक , खसरा न0 253/1 की 1.2860हैक खसरा न0 283/1 की 2.0180हैक व खसरा न0 377/2 की 1.1800हैक कुल 4.9900हैक भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 देवीसिह का 4.4840है भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2019को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

बिनाय दावा है। जमाबन्दी सलग्न वाद है।